

11/23

पुनर्विचार आदेश अंतर्गत अंतर्गत आदेशों में प्रेषण हुई। र. २२ मा. पत्रों में प्रमाण 169 दिनांक 6.2.23 में विनिर्देश प्राप्त हुई जो शो. प्रो. की ओर से विनिर्देश व हमीलावर एवं पुनर्विचार का आवेदन किया। प्र. पत्र प्राप्त आदेश द्वारा 136 LRA के अंतर्गत किया जाता है तथा प्रार्थी का अंतरिम आवेदन व ए. मा. पत्रों की खारजा नं. नं. 206 में प्रार्थी का नाम नन्द लाल के अंतरिम पर निर्देश सुधार आदेश किने जाते हैं आदेश किने जाते हैं। आदेश प्रचलन से लिखा जा रहा शो. प्रो. की ओर गया। पुनर्विचार में निर्देश सुधार होकर वापस वापस वापस वापस वापस हो।

निष्कर्ष: अंतरिम
आदेश

[Signature]
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत, बेंच... 4.....

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

क्रमांक : रीडर/2023/313-15

दिनांक : 11 फरवरी 23

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी गिरधरपुरा व भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त झालरापाटन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार झालरापाटन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भवंरासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या नया 206, पुराना 191, में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	भवंरासा	नया 206 पुराना 191	नन्दलाल	निर्मल कुमार शर्मा



क्रमांक : रीडर/2023/313-15
प्रतिलिपि :-

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़
दिनांक : 11 फरवरी 23

1. तहसीलदार झालरापाटन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्रीनिर्मल कुमार शर्मा आ० बापूलाल जाति ब्राह्मण निवासी झालरापाटन
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़